# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com


सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

40 संचिका / पत्र सं0–9 / उपा0 / कीट (विविध)–45 / 2017 4081 कृ0, पटना, दिनांक–8/11/,2021

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार के राजपत्र संख्या–G.S.R.593 (E) दिनांक– 21.08.2019 द्वारा बीज अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की गई है। भारत सरकार के उपर्युक्त राजपत्र के आलोक में बीज अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठान जिनकी अनुज्ञप्ति 21.08.2019 के पूर्व निर्गत है एवं (राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय) अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि दिनांक 21.08.2019 के पश्चात् समाप्त हुई है अथवा होने वाली है, उन अनुज्ञप्तियों में अंकित वैधता तिथि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिए मान्य समझी जायेगी। उदाहरण स्वरूप–यदि किसी प्रतिष्ठान को तीन वर्ष हेतु अनुज्ञप्ति दी गई तथा उसकी वैधता 10.11.2021 को समाप्त हो रही है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त अथवा 09.11.2023 तक के लिए वैध माना जायेगा।

2. दिनांक 21.08.2019 के बाद निर्गत अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि 5 वर्ष होने के मद्देनजर उन अनुज्ञप्तियों की वैधता तिथि वही होगी जो अनुज्ञप्ति में अंकित है।

3. पॉच (5) वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वैधता तिथि समाप्त होने पर प्रतिष्ठान / संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा।

4. अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु अस्वीकृत आवेदनों एवं रद्द अनुज्ञप्ति के मामलों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

5. बीज अनुज्ञप्ति से संबंधित अन्य शर्तें बीज नियंत्रण आदेश, 1983, बीज अधिनियम, 1966 एवं अन्य प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार होगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8.11.2021

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 4081 कृ0, पटना, दिनांक–8/11/ ,2021

प्रतिलिपि–

1. सभी राज्य स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय थोक एवं खुदरा बीज अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / उप निदेशक (शष्य) बीज / उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय / उप निदेशक (शष्य) फसल / उप निदेशक (शष्य) तेलहन / उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण / उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक) / सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित। सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश है कि उक्त आदेश के आलोक में निर्गत अनुज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन किया जाय।
3. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल से सूचित करने हेतु प्रेषित।
4. सचिव, कृषि के आप्त सचिव / माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.2021

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।